(533)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : प. 9(1) नविवि/3/95

दिनांक: 20.06.2003

आदेश

विषय– शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में 15 अगस्त, 1998 तक के अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर बनाये गये आवासीय/व्यावसायिक निर्माणों के नियमन के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यांक परिपत्र दिनांक 18.5.1999 के द्वारा शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में 15 अगस्त, 1998 तक के कब्जों का नियमन करने के निर्देश दिये गये थे। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इन निर्देशों में संशोधन जारी किये गये हैं और प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है।

उपरोक्त निर्देशों के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न शहरों में नियमन योग्य पाये गये कुल 75000 परिवारों में से अब तक 51000 परिवारों के कब्जों का नियमन किया जा चुका है और नियमन योग्य पाये गये मामलों में से अब 24000 पट्टे जारी करना शेष रहा है।

मंत्रीपरिषद् की दिनांक 6–7 जून, 2003 को हुई बैठक में कच्ची बस्तियों के नियमन की प्रगति की समीक्षा कर यह निर्णय लिया गया है कि–

(क) कच्ची बस्तियों के नियमन योग्य शेष 24000 परिवारों को पट्टे देने का काम 15 अगस्त, 2003 तक पूरा कराया जावे।

(ख) जो परिवार नियमन की पात्रता नहीं रखते हैं और जिन कच्ची बस्तियों को नियमन के योग्य नहीं माना गया है, उन्हें भी प्रमाण–पत्र दिया जावे, जिससे कि उन्हें भविष्य में पट्टा प्राप्त करने में असुविधा न हो।

अतः मंत्रिपरिषद् के उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में राज्य के सभी नगरीय निकायों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि–

1. सर्वशुदा कच्ची बस्तियों के नियमन का शेष कार्य अभियान के रूप में निष्पादित किया जावे और यह सुनिश्चित किया जावे कि नियमन योग्य सभी प्रकरणों में 15 अगस्त, 2003 से पूर्व पट्टे जारी कर दिये जावें।
2. नगरपालिका क्षेत्र की कच्ची बस्तियों के शेष सभी अनिर्णित मामलों में नगरपालिका के बोर्ड/संबंधित समिति के स्तर पर 15 जुलाई 2003 तक समुचित निर्णय ले लिया जावे और उनकी क्रियान्विति में पट्टे जारी करने की कार्यवाही 15 अगस्त, 2003 तक पूरी कर ली जावे।
3. यदि 15 जुलाई, 2003 तक किसी नगरपालिका बोर्ड/समिति द्वारा नियमन योग्य किसी मामले का निपटारा नहीं किया जाता है तो 16 जुलाई, 2003 से 15 अगस्त, 2003 की अवधि में उस नगरपालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी संबंधित बोर्ड/समिति की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने स्तर पर राज्य सरकार के परिपत्रों के अन्तर्गत नियमन का निर्णय करने हेतु अधिकृत होंगे। यदि नगरपालिका के मेयर/सभापति/अध्यक्ष इस प्रकार जारी किये जाने वाले पट्टे पर हस्ताक्षर करने के लिये सहमत नहीं हों तो मेयर/सभापति/अध्यक्ष के स्थान पर जिला कलेक्टर के अधिकृत प्रतिनिधि और मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से पट्टे जारी कर दिये जावें।
4. नियमन योग्य कच्ची बस्तियों में जो परिवार नियमन की पात्रता नहीं रखते हैं एवं जिन कच्ची बस्तियों को नियमन योग्य नहीं माना गया है उनमें 15 अगस्त, 1998 से पूर्व निवास करने वाले सभी कब्जेधारियों को निम्न प्रारूप में एक प्रमाण–पत्र संबंधित नगरीय निकाय के उपायुक्त/सचिव/ आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा जारी किया जावे–

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी श्री. .....पता.....सर्वेशुदा कच्ची बस्ती..... में दिनांक 15 अगस्त, 1998 से पूर्व से निवास कर रहे हैं। कब्जाशुदा भूमि का सर्वे नम्बर..... एवं क्षेत्रफल..... वर्गगज है।

कच्ची बस्ती नियमन संबंधी वर्तमान दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत निम्न कारण/कारणों से इसे कब्जे का नियमन सम्भव नहीं है–

.....

भविष्य में राज्य सरकार द्वारा इस बाबत जो भी नीति निर्धारित की जायेगी उसके अनुसार इस प्रमाण–पत्र के आधार पर नियमन/पुनर्वास की कार्यवाही की जा सकेगी।

उपायुक्त/सचिव/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी

5. यदि कच्ची बस्ती नियमन के पास किसी व्यक्ति द्वारा नियमन राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो उन्हें भी इसके कारण से उपरोक्त बिन्दु संख्या 4 के अनुसार प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जावे।
6. यदि कच्ची बस्ती में संयुक्त रूप से रह रहे किसी परिवार में शादीशुदा भाईयों/पुत्रों को अलग इकाई नहीं दर्शा कर उनके सभी निर्माणों को एक ही इकाई के रूप में सर्वे सूची में अंकित किया गया हो और इस कारण से नियमन सम्भव नहीं हो रहा हो तो ऐसे मामलों में प्रत्येक परिवार के पृथक्–पृथक् कब्जों का विवरण संबंधित नगरीय निकाय द्वारा जिला कलेक्टर को भिजवाकर सर्वे सूची में आवश्यक संशोधन करवा लिया जावे जिससे कि मौके की स्थिति के अनुसार रिकार्ड की स्थिति दुरूस्त हो सके और नियमन की कार्यवाही सम्भव हो सके।
7. **इस प्रकार कच्ची बस्तियों के नियमन के शेष कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ कर 15 अगस्त, 2003 तक आवश्यक रूप से पूरा कर लिया जावें और सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में 15 अगस्त, 1998 तक के प्रत्येक मामले में या तो पट्टा जारी हो जायें या प्रमाण–पत्र जारी हो जाये, यह सुनिश्चित किया जाये। इसमें कोई ढील पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी।**

यह आदेश मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 43/2003 दिनांक 17.6.2003 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

ह0/–
(एन.सी. गोयल)
शासन सचिव